मध्यप्रदेश पटवारी संघ

कुंज बिहारी दुबे
कार्यवाहक जिला अध्यक्ष
म.प्र. पटवारी संघ जिला दमोह

निवास
दमोह हॉस्पिटल के सामने, मागंज वार्ड
तीन गुल्ली के पास, स्टेशन रोड, द
मो. 7697120564, 9893085264

प्रति,

1. श्रीमान प्रमुख सचिव राजस्व महोदय,
   मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. श्रीमान आयुक्त भू-अभिलेख महोदया,
   ग्वालियर मध्यप्रदेश।

द्वारा:- श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला दमोह मध्यप्रदेश

विषय:- प्रदेश के पटवारियों की मूलभूत समस्याओं का उचित निराकरण करने हेतु।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, वर्तमान समय प्रदेश के पटवारियों को लगातार विभिन्न अभियानों तथा अन्य योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सम्मानिधी, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, ई-केवाईसी तथा फार्मर रजिस्ट्री जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन दिन-रात जी तोड़ मेहनत द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश का पटवारी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित होकर आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। जिसके मुख्य कारण निम्नानुसार है।

1. पटवारी को अवकाश के दिनों में आपातकालीन सेवा हेतु बुलाया जाता था। परंतु पिछले कुछ वर्षों से अवकाश के दिनों में सामान्य कार्यों के लिए भी पटवारी को लगाया जाता है, तथा प्रताड़ित भी किया जाता है । जो बंद किया जाए, अन्यथा पुलिस विभाग के समान 24 घंटे ड्यूटी पर होने के कारण पटवारी को 13 महीने की वेतन प्रदान किया जाए।
2. प्रदेश के कपितय जिलो में सार्थक एप्प एवं ई डायरी अटेंडेंस को लेकर पटवारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि पटवारियों को उचित संसाधन व मोबाइल उपलब्ध नहीं कराए गए है। लगभग छह वर्ष पूर्व जो

कलेक्टर दमोह
दि. 21/12 दिनांक
आवक

निम्न स्तर की कीमतों के उपलब्ध भी कराएं गये थे। वो भी बेकार होकर उपयोग हीन हो चुके है। इसी प्रकार पटवारियों का कार्य क्षेत्र बेहद दुर्गम, पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहता है, जहां नेटवर्क उपलब्ध नहीं रहता है। जिससे उक्त एप्प्स के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाना अप्रासंगिक एवं अव्यवहारिक है। इस हेतु इसकी अनिवार्यता समाप्त की जावे।

3. प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना मैं पैसा उच्च स्तर से सीधे किसान के खाते में आता है । पटवारी का कार्य केवल कृषक का रजिस्ट्रेशन करना है, परंतु पैसा ना आने पर अनावश्यक रूप से सीएम हेल्पलाइन होती है । इसलिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना में सीएम हेल्पलाइन 181 शिकायत से अलग किया जाए। जिस प्रकार लाड़ली लक्ष्मी योजना को सी एम हेल्पलाइन 181 से पृथक रखा गया है।
4. प्रदेश में स्वामित्व योजना का कार्य पटवारी द्वारा किया गया है, परंतु आज दिनांक तक कई जिलो की तहसीलों में पटवारी को स्वामित्व योजना का पैसा प्रदान नहीं किया गया, जिसे तत्काल भुगतान कराया जाए। इसी प्रकार स्वामित्व योजना को लेकर मंदसौर जिले मे पटवारियों को निलंबित एवं प्रताड़ित किया जा रहा है। पटवारियों के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही वापस ली जाए। इसी प्रकार मजरे टोले के नक्शे का नवीन कार्य पटवारियों से बिना प्रशिक्षण एवं संसाधन तथा बिना मानदेय से करवाया जा रहा है। जो अनुचित एवं न्याय संगत नहीं है।
5. प्रोटेक्शन एक्ट :- प्रदेश का पटवारी राजस्व न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के अधीन कार्य करता है। जिसमें उसके विभाग को उसके कार्यों की विभागीय जांच का अधिकार होता है। विभागीय जांच पश्चात ही दोषी पाएं जाने पर ही विभागीय रिपोर्ट के आधार पर दोषी माना जाएं, किंतु पुलिस द्वारा बिना किसी विभागीय जांच के आधार पर उसे सीधे दोषी

मानकर उसके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर दोषी बनाया जाता है। जो पूर्ण रूप से अनुचित व अवैधानिक है। इसलिए नायब तहसीलदार, तहसीलदार की भांति पटवारियों को भी प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में शामिल किया जाये।

6. फार्मर आईडी का ऐप अत्यंत ही निम्न स्तर का है जो अधिकतम समय ठीक तरह से कार्य नहीं करता है। जिस कारण पटवारी का अर्थात शासन का समय अनावश्यक बेकार होता है, इसलिए एप में सुधार कराया जाए।
7. गिरदावरी का कार्य पिछले वर्ष सर्वेयर द्वारा कराया गया था, जिनका भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। भुगतान हेतु सर्वेयर पटवारी पर दबाव बनाते हैं। अतः फसल सर्वे का भुगतान सर्वेयर को तत्काल किया जाए।
8. एग्री स्टेक व अन्य भत्ते का भुगतान नहीं होना :- वर्तमान समय में प्रदेश का पटवारी शासन की विभिन्न योजनाओं एवं लगातार राजस्व महाभियान में जी-तोड़ मेहनत के बावजूद विगत कई माह से अपने एग्री स्टेक, स्टेशनरी तथा फिक्स टीए जैसे भत्तों के भुगतान की मूलभूत सुविधाएं से वंचित होकर लगातार आर्थिक शोषण का शिकार हो रहा है। जिससे सिर्फ प्रदेश पटवारी ही नहीं, अपितु उसका पुरा परिवार भी लगातार हर माह शोषित हो रहा है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु पटवारी भत्ते के मद का उचित बजट उपलब्ध कराने का कष्ट करें, बार बार आने वाली इस समस्या का स्थाई निराकरण हो।
9. राजस्व महाभियान 3.0 में पटवारियों को प्रताड़ना:- विगत वर्ष में लगातार राजस्व महाभियान 1.0, 2.0 तथा 3.0 सतत चलाया गया है। जिसमें रिकार्ड तोड राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ है। जिसमें प्रदेश के पटवारियों की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। किंतु प्रायः यह पाया जाता हैं कि, इन अभियानों के समय अत्यधिक राजस्व एवं योजनाओं के कार्यो की वजह से साफ्टवेयर एवं सर्वरों पर अत्यधिक दबाव होने से कार्य करना बंद

कुंज बिहारी दुबे
कार्यवाहक जिला अध्यक्ष
म.प्र. पटवारी संघ जिला दमोह

निवास
दमोह हॉस्पिटल के सामने, मागंज वार्ड
तीन गुल्ली के पास, स्टेशन रोड, द
मो. 7697120564, 9893085264

कर देते हैं, अथवा अत्यधिक धीमी गति से चलते हैं। किंतु उक्त तकनीकी समस्याओं पर ध्यान ना देकर पटवारियों को प्रताड़ित या दंडित किया जाता है। इसी प्रकार विगत तीन राजस्व अभियानों में अधिकांशतः राजस्व प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। अब ऐसे प्रकरण या कार्य शेष रहे है। जो वास्तव में अत्यधिक जटिल ओर विवादित है। जिनमें न्यायालयीन सुनवाई एवं समुचित समय की आवश्यकता है। किंतु पटवारियों की पक्ष जाने बगैर ही उनपर कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु श्रीमान से निवेदन है कि, प्रदेश के प्रत्येक.जिलों के जिला कलेक्टर महोदय को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वो पटवारियों की मीटिंग आयोजित करवाकर उनकी उचित समस्याओं को सुने एवं उचित निराकरण करवाए।

10. पदोन्नति व समयमान वेतनमान:- राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक पद पर पदस्थ सभी का वेतन उन्नयन एवं पदोन्नत किया गया है। किंतु सिर्फ पटवारियों का ना तो वेतन उन्नयन किया गया , ना ही पदोन्नत किया गया है। जबकि प्रदेश के प्रत्येक जिले मे राजस्व निरीक्षक के पद उनकी पदोन्नति होने व सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए है। ऐसे रिक्त पदों पर जिलों के वरिष्ठ पटवारियों को पदोन्नत किया जावें। अन्य कर्मचारियों की भांति पटवारियों को भी पदोन्नत पद का लाभ प्राप्त हो। इसी प्रकार सीआर के अभाव में प्रदेश के हजारों पटवारी समयमान वेतनमान के लाभ से वंचित है। इसलिए सीआर लिखने की व्यवस्था कायम होने तक इसकी अनिवार्यता समाप्त कर, प्रदेश स्तर पर अभियान चलाकर पटवारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावे, इसी प्रकार पटवारियों की कैडर रिव्यू की मांग को भी पूर्ण किया जाएं।

मध्यप्रदेश पटवारी संघ
कुंज बिहारी दुबे
कार्यवाहक जिला अध्यक्ष
म.प्र. पटवारी संघ जिला दमोह
निवास
दमोह हॉस्पिटल के सामने, मागंज वार्ड
तीन गुल्ली के पास, स्टेशन रोड, द
मो. 7697120564, 9893085264

11. स्थानांतरण :- पुराने जिले में से नवीन जिले की स्थापना होने से पटवारी के स्थानांतरण संबंधित समस्या के निवारण हेतु पार्सियल अंतर जिला स्थानांतरण सुविधा का लाभ पटवारियों को प्रदान किया जाएं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रदेश के पटवारियों की उक्त न्यायसंगत समस्या का उचित निराकरण करने का कष्ट करें। उक्त समस्या का निराकरण ना होने के स्थिति में प्रदेश का पटवारी मजबूरन चरणबद्ध आंदोलन हेतु बाध्य होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

जिलाध्यक्ष 29/02/2022
जिला शाखा
म.प्र.पटवारी संघ दमोह